निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0, 8, तिलकमार्ग, लखनऊ

ई–निविदा सूचना

पत्र सं0: 10092 /खा0ग्रा0बो0/का0/आ0सो0/2017–18 दिनांक : 17-01-2018

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटरों आपरेटर, चतुर्थश्रेणी (चौकीदार/चपरासी/स्वच्छकार) एवं वाहन चालक की तैनाती/उपयोगार्थ निर्धारित नियम/शर्तों के तहत् पंजीकृत फर्मों से वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

ई–निविदा प्रपत्र दिनांक **25.01.2018** से दिनांक **26.02.2018** के मध्य उ0प्र0 सरकार के ई–प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल https://etender.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500+18% देय होगा। निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का बैंक गारन्टी अथवा एफ0डी0आर0 के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। निविदायें (जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय भाव पक्ष अलग–अलग हो) उपलब्ध कराये जायेंगे। पोर्टल पर प्राप्त होने वाली निविदायें दिनांक **26.02.2018** को अपरान्ह 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेंगी। एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित है।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी **मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

उक्त निविदा विभागीय वेबसाइड–www.upkvib.gov.in पर भी उपलब्ध है।

S.No. ……

U.P KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD

8, Tilak Marg, Lucknow.

Supply of Man Power

Bid Reference No.	**10092/2017-18/01**
Date of Publication of Tender:	**25.01.2018 09.00 A.M.**
Date of Commencement of Sale of Tender Document:	**26.01.2018 10.00 A.M.**
Last Date and time for receipt of bids:	**25.02.2018 06.00 P.M.**
Time and date of opening of bids:	**26.02.2018 03.00 P.M.**

Address for Communication: **U.P Khadi & Village Industries Board**
8, Tilak Marg, Lucknow.

General Information

1) Name of Firm: ____

2) Full Address of the Firm: ____

3) Pin code: __________

4) Telephone No. __________

5) Fax Number: __________

6) e-mail address: _______________________________________

7) GST Number ______________

8) Pan Number ______________

9) Details of Earnest Money Deposit: ____

a) Amount: Rs. ______________________

b) Bank Guarantee or F.D.R. No. ___________________________

c) Bank Guarantee or F.D.R. Issuing Date: ___________________________

EMD Rs.25000=00 should be deposited by the vendor in the form of demand draft in favour of **U.P Khadi & Village Industries Board, Lucknow**.

संस्थाओं/फर्म से प्राप्त तकनीकी बिड का प्रारूप

क्र. सं0	संस्था का नाम/पता	संस्था का पंजीकरण (कार्यालय का पता)	संस्था का पंजीकरण किसके अधीन है	सेवा कर पंजीकरण एवं निस्तारण प्रमाण–पत्र संख्या/दिनांक	सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कम्पनी एक्ट 1956 के अधीन रजिस्ट्रार/वाणिज्य अधिष्ठान, श्रमिक अधिनियम के अधीन श्रमायुक्त से प्राप्त	ई0एस0आई0 पंजीकरण संख्या	आयकर पंजीकरण प्रमाण–पत्र/ पैन नं0/ टिन न0	व्यापार हेतु आवंटित टैन नं0	ई0पी0एफ0 की पात्रता	सी0ए0 द्वारा आडिट बैलेन्सशीट (तीन वर्ष की)	तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण–पत्र (कार्मिक आपूर्ति/के प्रतिष्ठान सरकारी कार्यालय/संस्थान का विवरण	कम्पनी वायलॉज प्रथम कार्य मानव आपूर्ति हेतु पंजीकरण हो तथा पंजीकृत कर्मी की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट–सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न की जाए।

नियम–शर्ते–

शैक्षिक योग्यता/अनुभव तथा नियम व शर्तो का विवरण

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से दक्ष एवं अनुभवी कम्प्यूटर–आपरेटर, चतुर्थश्रेणी (चौकीदार/चपरासी/स्वच्छकार) एवं वाहन चालक की आवश्यकता है। जिनके लिये शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं सेवा शर्ते आवश्यक है ताकि उनकी उपयोगिता व उनके कार्य की गुणवत्ता बनी रहे है–

क्रमांक	पदनाम		शैक्षिक योग्यता/अनुभव
1.	कम्प्यूटर आपरेटर	(क)	**इण्टरमीडिएट** पी.जी.डी.सी.ए./एम0ओ0एम0/ओ0लेवल एण्ड एस0पी0 (राजकीय पॉलीटेक्निक से) या इसके समकक्ष शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से एवं कम्प्यूटर आपरेटर पद पर कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव।
		(ख)	हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में 45 से 60 शब्द प्रति मिनट टाइप गति।
		(ग)	**बेसिक जानकारी** –एम0एस0विन्डोज, एम0एस0 आफिस–2010 (एम0एस0 वर्ड, एम0एस0 एक्सल, एम0एस0 पॉवर प्वाइंट) तथा इंटरनेट, ई–मेल का व्यवहारिक ज्ञान।
2.	चपरासी/चौकीदार/ स्वच्छकार	(क)	हाईस्कूल उत्तीर्ण
		(ख)	साइकिल चलाने का पर्याप्त अनुभव
3.	वाहन चालक	(क)	हाईस्कूल उत्तीर्ण
		(ख)	हल्के/भारी वाहनों के चलाने का विधि मान्य लाइसेन्स तथा हल्के/भारी वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव।

निविदा सेवा प्रदान करने हेतु नियम व शर्तः–

1. निविदा दाताओं द्वारा निविदा संख्या एवं फर्म का नाम अंकित करते हुये तकनीकी एवं वित्तीय पक्ष अलग–अलग निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी। निविदा की सिक्योरिटी मनी रू0 25,000/– (रूपया पच्चीस हजार मात्र) एफ0डी0आर0 या बैंक गारण्टी के रूप में देय होगी।

निविदा फार्म ई–टेन्डर https://etender.up.nic.in से रू0 500.00+18% कुल रू0 590.00 (रूपया पांच सौ नब्बे मात्र) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पक्ष में भुगतान कर डाउनलोड की जा सकती है।

2. संस्था का प्राविडेन्ट अधिनियम एवं ई0एस0आई0 कारपोरेशन अधिनियम तथा श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। संविदा श्रम अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स धारक को तथा लेवर आपूर्ति एजेन्सी के रूप में श्रम विभाग में पंजीकरण के साथ–साथ कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

3. संस्था को एक नोटरी सर्टिफाइड शपथ पत्र देना होगा कि उसकी संस्था के खिलाफ न्यायालय में कोई केस विचाराधीन नहीं है तथा संस्था को ब्लैक–लिस्टेड नहीं किया गया है।

4. संस्था आयकर दाता हो, पिछले तीन वर्ष के आयकर भुगतान से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

5.(अ) सरकारी विभाग एवं उपक्रमों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय, जो संबंधित विभाग/उपक्रम से प्रमाणित हो।

(ब) संस्था के पास कम से कम 300 कर्मी (अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल) पंजीकृत कार्यरत एवं विभिन्न विभागों में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

(स) संस्था का वार्षिक टर्नओवर रू0 1.50 करोड़ होना चाहिए जिसके साक्ष्य में 03 वर्ष का वार्षिक चिट्ठा (सी0ए0 द्वारा तैयार किया गया) प्रमाणन के रूप में संलग्न होना चाहिए।

6. संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर–आपरेटर, चतुर्थश्रेणी (चौकीदार/चपरासी/स्वच्छकार) एवं वाहन चालक संबंधित संस्था के अधीन होंगे एवं संस्था के कर्मचारी माने जायेंगे। किसी भी दशा में बोर्ड कर्मचारी नहीं माने जायेंगे और न ही बोर्ड के किसी रिक्त पद पर धारणधिकार होगा। यह मात्र कार्य की व्यवस्था है। बोर्ड में नियुक्ति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्धित कर्मी संस्था में पंजीकृत होना चाहिए।

7. जनपद, मण्डल कार्यालय तथा मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित कार्यालय अवधि के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

8. कम्प्यूटर–आपरेटर, चतुर्थश्रेणी (चौकीदार/चपरासी/स्वच्छकार) एवं वाहन चालक का कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा कर्मचारी की अनुशासनहीनता पर सम्बन्धित कर्मी को संस्था को वापस कर दिया जायेगा और पुनः उसे ड्यूटी पर नहीं लिया जायेगा। जिस पर संस्था को प्रतिस्थानी तुरन्त उपलब्ध कराना होगा इसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर सेवा प्रदाता संस्था से किया गया अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

9. सेवा प्रदाता संस्था को नियम व शर्ते आदि अपनी संस्था के लेटर पैड पर देना होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन संख्या, स्पष्ट पता, फैक्स, ई–मेल और मोबाइल नम्बर अंकित हो।

10. सेवा प्रदाता एजेन्सी का यह दायित्व होगा कि बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले कर्मी का स्वास्थ्य अच्छा हो और उसका प्रमाण–पत्र एवं निर्धारित योग्यता, क्षमता एवं अनुभव रखता हो। उसके अवकाश जाने पर संस्था को प्रतिस्थानी तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।

11. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी वाद–विवाद के निस्तारण के लिए न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।

12. उपरोक्त शर्तो के साथ रू0 100 के स्टाम्प पर चयनित सेवा प्रदाता एवं बोर्ड के मध्य कार्य सम्पादन हेतु अंकित शर्तो के साथ अनुबन्ध किया जायेगा, ताकि भविष्य में कोई भी विवाद होने पर अनुबन्ध अनुसार विधिक कार्यवाही की जा सकें।

13. संस्था के कर्मचारी की विकलांगता अथवा मृत्यु की दशा मे (सेवा काल ड्यूटी के समय अथवा अन्यथा) क्षतिपूर्ति एवं अन्य व्यय के वहन का सम्पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता संस्था का होगा। विभाग पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

14. सम्बन्धित कर्मी द्वारा किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का यदि वाद दायर किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।
15. ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/ई0डी0एल0आई0/सर्विस टैक्स जमा के चालान की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/ई0डी0एल0आई0/सर्विस टैक्स के चालान की छायाप्रतियां जमा करने पर ही अगले माह का भुगतान किया जायेगा।
17. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा शासनादेश सं0–371/छत्तीस–5–2017–5(7)/2015 दिनांक 29 जून, 2017 का पालन करते हुये, आउटसोर्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित कार्य हेतु कर्मचारी उपलब्ध करायेगी।
18. सेवा प्रदाता संस्था का बैंक में चालू खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम तथा पूरा पता मय आई0एफ0एस0 कोड सहित उपलब्ध कराना होगा। भुगतान प्रक्रिया–अनुबंधित सेवा प्रदाता संस्था को भुगतान प्रतिमाह आर0टी0जी0एस0/एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा। भुगतान पर नियमानुसार टी0डी0एस0 काटा जायेगा।
19. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सेवा के विपक्ष में बोर्ड से भुगतान प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित सेवा कर्मी को पारिश्रमिक का भुगतान प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
20. अनुबन्ध के साथ रू0 50,000.00 की बैंक गारंटी/एफ0डी0आर0 के रूप में **"उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड"** के पक्ष में बन्धक रखनी होगी।
21. टेण्डर दाता के विरूद्ध कोई भी पुलिस केस, मा0 न्यायालय विवाद, सतर्कता विवाद आदि नहीं होने चाहिए तथा किसी मा0 न्यायालय द्वारा दंण्डित नहीं होना चाहिए।
22. कम्प्यूटर–आपरेटर, चतुर्थश्रेणी (चौकीदार/चपरासी/स्वच्छकार) एवं वाहन चालक की सेवाएं प्रथम चरण में एक वर्ष हेतु तथा संतोषजनक सेवा होने पर समय बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।
22. Mere quoting the lowest rate will not be the sole criteria for finalization of the tender. The Contract will be decided on strength and viablitily of the Tenderer and sustainability of rates quoted.

<u>संलग्नक–तकनीकी व वित्तीय बिड का प्रारूप (2)</u>

<u>प्रमाण–पत्र</u>

मैंने सभी शर्तो एवं नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है तथा उसका पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ।

निविदा दाता संस्था का नाम–

हस्ताक्षर– दिनांक

पता व मुहर–

मोबाइल नं0–

Tender Inviting Authority Chief Executive Officer, U.P.Khadi & Village Industries Board, Lucknow

Name of Work Supply of Man Power

Cantact No.

Name of the Bidder/Bidding Firm/Company

PRICE SCHEDULE

SI. No.	Item Description	Units	Min. Wages per each	E.P.F.	E.S.I.	Total	Service Charge	G.S.T. (As applicable)	TOTAL AMOUNT With All Taxes in Rs. P	Remarks
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Computer Operator	1								
2	Peon/Cleaner	1								
3	Driver	1								

हस्ताक्षर–

पता व मुहर–

मोबाइल नं0–